

सामान्य निर्देश एवं नियम शर्तें निम्नवत् हैं :-

1. मात्र ऑनलाईन आवेदन ही पंजीकरण हेतु स्वीकार्य होंगे। ऑनलाईन आवेदन आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के जनहित पोर्टल <https://janhit.upda.in> अथवा प्राधिकरण की वेबसाइट www.adaagra.org.in के माध्यम से किया जा सकता है।
2. पंजीकरण हेतु आवेदक की आयु आवेदन की अन्तिम तिथि तक न्यूनतम 18 वर्ष होना तथा आवेदक को भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
3. ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदक को स्वयं का फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शपथ-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित श्रेणियों हेतु) एवं अन्य आरक्षित श्रेणियों हेतु वांछित प्रमाण-पत्र आवेदन में ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदन फार्म सही व पूर्ण भरा हो एवं वांछित अभिलेखों को ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा। अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित अभिलेख अपलोड न होने पर आवेदन को निरस्त किया जा सकता है।
5. एक से अधिक या संयुक्त नाम से पंजीकरण नहीं किया जा सकता है। एकल पंजीकरण अथवा पति-पत्नी का संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य होगा।
6. विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरान्त किसी भी कार्य दिवस में गंगापुरम् टाउनशिप का स्थल निरीक्षण किया जा सकता है।
7. लॉटरी ड्रॉ की तिथि दैनिक समाचार पत्रों एवं प्राधिकरण की वेबसाइट www.adaagra.org.in पर अलग से प्रदर्शित की जायेगी।
8. लॉटरी ड्रॉ की निर्धारित तिथि से 15 दिवस पूर्व विसंगतिपूर्ण अथवा अपूर्ण आवेदनों की एक आपत्ति सूची प्राधिकरण की वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। संबंधित आवेदक लॉटरी ड्रॉ की तिथि से 7 दिवस पूर्व तक जनहित पोर्टल <https://janhit.upda.in> पर जाकर ऑनलाईन माध्यम से अनिवार्य रूप से अपने आवेदन की त्रुटियों का निवारण कर सकते हैं। नियत समयावधि में त्रुटि सुधार न करने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है और उसे लॉटरी ड्रॉ की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात इस संबंध में कोई भी दावा या आपत्ति मान्य नहीं होगी, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
9. जिन आवेदकों को लॉटरी ड्रॉ में भूखण्ड आवंटित नहीं होता है, तो उनके द्वारा जमा पंजीकरण धनराशि लॉटरी ड्रॉ की तिथि से अधिकतम 30 कार्य दिवस में आवेदन फार्म में अंकित बैंक खाते में ब्याज रहित वापस कर दी जायेगी। आवेदन फीस किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।
10. आवेदक या उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) के पास प्रदेश के किसी भी विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद्, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या किसी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित किसी आवासीय योजना में कोई भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए। इस आशय का संलग्न प्रारूप पर शपथ पत्र आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत/अपलोड करना होगा।
11. एल.आई.जी. श्रेणी के आवेदकों हेतु ₹3,00,001 से ₹6,00,000 (₹ तीन लाख एक से ₹छः लाख) तक की वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र (सक्षम अधिकारी/ तहसीलदार/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी) आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
12. एक व्यक्ति, एक ही श्रेणी की सम्पत्ति पर आवेदन कर सकेगा।
13. यदि मा0 विधायक/मा0 सदस्य उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद्/मा0 सांसद/मा0 सदस्य राज्य सभा को उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् अथवा विकास प्राधिकरण या किसी अन्य अभिकरण की किसी भी योजना में भूखण्ड अथवा भवन प्राथमिकता के आधार पर पूर्व में आवंटित किया जा चुका है तथा मा0 विधायक/मा0 सदस्य

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद / मा0 सांसद / मा0 सदस्य राज्य सभा द्वारा उसकी बिक्री कर दी गई है एवं नये भूखण्ड / भवन के लिए आवंटन किया हो तो शासनादेश के अनुसार दोबारा उन्हें आवंटन में प्राथमिकता प्रदान नहीं की जायेगी, अपितु उन्हें नियमानुसार आवंटन प्रदान किया जायेगा।

14. यदि आवेदनकर्ता लॉटरी स्थल पर किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या पंजीकरण की शर्तों / प्रतिबंधों का पालन नहीं करता है तो उसका आवेदन निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को होगा।
15. सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है, जिसके सम्बन्ध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
16. सम्पत्ति के भूखण्ड के क्षेत्रफल में नियोजन उपरान्त वृद्धि होने पर आवंटित क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत तक वृद्धि क्षेत्रफल पर आवंटन दर से एवं अवशेष 90 प्रतिशत भूखण्ड के भू-भाग पर तत्समय लागू दर पर मूल्य जमा करना होगा।
17. भूखण्ड जहाँ है जैसा है के आधार पर आवंटित किया जायेगा।
18. भूखण्ड का भौतिक कब्जा विक्रय विलेख निष्पादित कराने के उपरान्त ही दिया जायेगा, जो विक्रय विलेख निष्पादित होने के तिथि से एक माह के अन्दर प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा तत्पश्चात् ₹100/- प्रतिदिन की दर से कब्जा प्राप्त करने की तिथि तक दण्ड लिया जायेगा।
19. भूखण्ड जिस योजना में स्थित है, उस योजना के स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण तक नियमानुसार निर्धारित दर पर अनुरक्षण शुल्क प्रतिमाह आवंटी द्वारा प्राधिकरण को देय होगा, जो भूखण्ड के कब्जा प्राप्त करने की तिथि से ही लागू होगा। वर्तमान में अनुरक्षण शुल्क ₹0 5 प्रति वर्गमीटर है। अनुरक्षण शुल्क आयकर विभाग के कास्ट इन्डेक्स के आधार पर प्रत्येक वर्ष पुनः निर्धारित की जायेगी।
20. आवंटित भूखण्ड पर किसी अर्जन सम्बन्धी विवाद अथवा किसी माननीय न्यायालय में विधिक वाद अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से भूखण्ड का कब्जा देने में विलम्ब / बाधा की स्थिति में आवंटी को कोई क्षतिपूर्ति / ब्याज देय नहीं होगा।
21. अर्जन सम्बन्धी विवाद में किसी मा0 न्यायालय द्वारा यदि मूल्य बढ़ाने का आदेश दिया जाता है तो अतिरिक्त मूल्य का भुगतान आवंटी द्वारा प्राधिकरण को किया जाना अनिवार्य होगा।
22. आवंटन स्वीकृत / अस्वीकृत करने सम्बन्धी समस्त अधिकार उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण में निहित होंगे।
23. किसी भी प्रकार का संशय उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा तथा विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र आगरा होगा।
24. समय-समय पर शासन द्वारा सम्पत्ति निस्तारण के लिए जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा एवं आवेदक इन्हें अनिवार्य रूप से मानने हेतु बाध्य होगा।
25. सभी प्रकार के देय शासकीय करों का भुगतान सम्पत्ति के मूल्य के अतिरिक्त आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
26. **भुगतान प्रक्रिया :-**
 - (i) आवेदन शुल्क ₹1100/- (जीएसटी सहित) किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।
 - (ii) पंजीकरण धनराशि के रूप में बेसिक सम्पत्ति मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि (सामान्य श्रेणी) व 05 प्रतिशत धनराशि (अन्य आरक्षित श्रेणी) हेतु जनहित पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाईन जमा कराना अनिवार्य होगा।
 - (iii) भूखण्ड आवंटन के पश्चात् कुल धनराशि का 15 प्रतिशत (सामान्य श्रेणी) एवं 20 प्रतिशत (अन्य आरक्षित श्रेणी) हेतु आवंटन धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 45 दिवस के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन निरस्त कर 30 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि को जब्त करते हुए अवशेष धनराशि ब्याज रहित आवंटी को वापस कर दी जाएगी तथा इस सम्बन्ध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

- (iv) आवेदक को सम्पत्ति का आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात पंजीकरण धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि (अर्थात् 75 प्रतिशत धनराशि) का पूर्ण भुगतान किये जाने की स्थिति में उक्त धनराशि पर आदर्श कास्टिंग गार्ड-लाईन्स-2025 के अधीन निम्नवत् छूट प्रदान की जायेगी।
- 45 दिवस में भूखण्ड के सापेक्ष पूर्ण धनराशि जमा कराने पर 6 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
 - 60 दिवस में भूखण्ड के सापेक्ष पूर्ण धनराशि जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
 - 90 दिवस में भूखण्ड के सापेक्ष पूर्ण धनराशि जमा करने पर 4 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
- नोट:-** जिस दिवस में पूर्ण धनराशि प्राधिकरण कोष में प्राप्त होगी, उसके अनुसार ही छूट की गणना की जायेगी। यदि बैंक अथवा आवंटी की गलती के कारण ससमय धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा नहीं होती है तो उसके लिये कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- (v) एल.आई.जी., एम.आई.जी.-1, एम.आई.जी.-2, एच.आई.जी.-1 एवं एच.आई.जी.-2 सम्पत्ति की अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ 12 त्रैमासिक किश्तों में भुगतान किया जायेगा एवं किश्तों का समय से भुगतान न करने पर अतिरिक्त 02 प्रतिशत अर्थात् विलम्बित अवधि का 14 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज देय होगा।
- (vi) शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार भूखण्ड कार्नर एवं पार्क फेसिंग होने की दशा में निम्नवत् अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- यदि भूखण्ड कार्नर का है तो कार्नर शुल्क 5 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।
 - यदि भूखण्ड पार्क फेसिंग का है तो पार्क फेसिंग 5 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।
 - यदि भूखण्ड कार्नर, पार्क फेसिंग एवं 18 मीटर अथवा उससे चौड़े मार्ग या सड़क पर स्थित होने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देय होगा।
 - यदि भूखण्ड में उपरोक्त तीनों गुण (a, b, c) होते हैं तो उसका मूल्य सामान्य मूल्य से 12 प्रतिशत अधिक होगा।
- (vii) भूखण्ड के सम्पूर्ण मूल्य पर 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क देय होगा तथा अन्य आवश्यक शुल्क निबन्धन से पूर्व जमा करना होगा। 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क की मांग अन्तिम किश्त के साथ ही आरोपित होगी, जिसे 15 दिवस में आवंटी को जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उक्त पर 14 प्रतिशत दण्ड ब्याज देय होगा तथा आवंटी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

27. विक्रय विलेख की प्रक्रिया में होने वाला समस्त व्यय स्टाम्प शुल्क/स्टाम्प ड्यूटी आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

28. आवेदक द्वारा ₹50 लाख अथवा अधिक मूल्य के भूखण्ड की सम्पूर्ण धनराशि का 1 प्रतिशत टी0डी0एस0 धनराशि प्राधिकरण के पैन संख्या- AAALA0081F पर जमा कराना अनिवार्य होगा, जो भूखण्ड के सम्पूर्ण मूल्य के अन्तर्गत ही होगा। उक्त के पश्चात् ही भूखण्ड का विक्रय विलेख निष्पादित किया जायेगा।

29. निरस्तीकरण/समर्पण

- (i) आवेदनकर्ता द्वारा लॉटरी ड्रॉ की तिथि से 07 दिवस पूर्व अपनी जमा पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु लिखित रूप में आवेदन करना होगा। लिखित में आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी ड्रॉ के पश्चात् 15 कार्य दिवस में धनराशि ब्याज रहित वापस की जायेगी तथा उसे लॉटरी ड्रॉ में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

- (ii) आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात् आवंटन धनराशि जमा करने की तिथि तक यदि समर्पण किया जाता है, तो पंजीकरण धनराशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर अवशेष धनराशि ब्याज रहित वापस की जायेगी तथा यदि आवंटन धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् भूखण्ड का समर्पण किया जाता है, तो जमा पंजीकरण धनराशि की 30 प्रतिशत धनराशि जब्त कर अवशेष धनराशि ब्याज रहित वापस की जायेगी।
- (iii) आवंटी द्वारा लगातार 03 किस्ते जमा न करने पर डिफॉल्टर माना जायेगा तथा आवंटन निरस्त कर पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुये, पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त जमा धनराशि में से 30 प्रतिशत कटौती करते हुए वापस की जा सकती है।
- (iv) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गयी सूचना/अभिलेख असत्य/कूटरचित पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यदि विक्रय विलेख के पश्चात् भी उक्त प्रकार का कोई तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में आता है, तो सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार विक्रय विलेख के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।

30. आरक्षण प्रक्रिया

क्र.सं.	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	21%
2	अनुसूचित जनजाति	02%
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27%
4	मा0 विधायक/मा0 विधान परिषद् सदस्य/मा0 सांसद व स्वतन्त्रता सेनानी	05%
5	सरकारी सेवाओं एवं सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	05%
6	उ0प्र0 आवास विकास, विकास प्राधिकरण, जलकल, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	02%
7	भूतपूर्व सैनिक/भूतपूर्व केन्द्रीय पुलिस बल के कार्मिकों एवं उनके आश्रित	03%
8	दिव्यांगजन	05% (क्षैतिज आरक्षण)
9	वरिष्ठ नागरिक	10% (क्षैतिज आरक्षण)
10	सामान्य वर्ग	अवशेष

नोट:-

- आरक्षण श्रेणी (क्रमांक-01 से 03) मात्र उ0प्र0 के नागरिकों हेतु ही मान्य होगा।
 - उपरोक्त क्रमांक 01 से 03 में आवेदक जिस वर्ग में ऑनलाइन आवेदन करेंगे लॉटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा तथा सक्षम अधिकारी / तहसीलदार / जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
 - मा0 विधायक / मा0 सदस्य विधान परिषद् / मा0 सांसद / मा0 सदस्य राज्य सभा द्वारा अपने आवेदन के साथ मा0 सदन का सदस्यता प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानी आवेदक को सम्बन्धित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - क्रमांक 05 श्रेणी के आवेदकों को आयु प्रमाण पत्र एवं सेवा का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - क्रमांक 06 श्रेणी के आवेदकों को उनके विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत सेवा में कार्यरत सम्बन्धी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - क्रमांक 07 श्रेणी के आवेदकों को सम्बन्धित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - क्रमांक 08 श्रेणी के आवेदकों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांगता सम्बन्धित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - क्रमांक 09 श्रेणी के आवेदकों को सरकार द्वारा निर्धारित आयु सम्बन्धी साक्ष्य प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
31. प्रस्तावित सम्पत्तियों की दर अनुमानित है, जो विकास कार्य होने के पश्चात् घट बढ़ सकती है तथा उक्त दर आवंटी को मान्य होगी। आवंटी द्वारा पुनर्निर्धारित दरें स्वीकार न करने की स्थिति में आवंटी का आवंटन निरस्त कर पंजीकरण धनराशि के रूप में जमा धनराशि से 20 प्रतिशत कटौती कर अवशेष धनराशि ब्याज रहित वापस की जायेगी तथा इसके पश्चात आवंटी का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।
 32. यदि किसी आवंटी द्वारा भूखण्ड के रजिस्ट्री के पूर्व तक किसी अन्य को रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटार्नी दी जाती है, तो भी प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड का विक्रय विलेख मूल आवंटी के नाम से ही किया जायेगा। यदि मूल आवंटी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके वारिसों के नाम से नामांतरण उपरान्त ही नियमानुसार विक्रय विलेख निष्पादित किया जायेगा।
 33. **भूखण्ड का कब्जा:-** भूखण्डों का कब्जा रजिस्ट्री उपरान्त माह दिसम्बर 2030 अथवा विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त, जो पहले हो, दिया जायेगा।
 34. योजना आवासीय है। सम्पत्ति का प्रयोग उ0प्र0 विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 के अधीन ही अनुमन्यता के आधार पर ही किया जायेगा।

किसी भी विवाद अथवा आपत्ति के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा।

शपथ पत्र(₹ 100/- के नाम जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

नाम श्री / श्रीमती / कुमारी.....पिता / पति का नाम श्री.....

आयु..... व्यवसाय..... पूरा पता.....

मैं शपथ पूर्व बयान करता हूँ/ करती हूँ:-

1. मैंने आगरा विकास प्राधिकरण की गंगापुरम् टाउनशिप के अन्तर्गत एल.आई.जी./एम.आई.जी.-1 / एम.आई.जी.-2 / एच.आई.जी.-1 / एच.आई.जी.-2 भूखण्ड हेतु आवेदन किया है।
2. मैं बालिग हूँ तथा मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
3. मैं भूखण्ड हेतु पंजीकरण मात्र अपने लिये ही कर रहा / रही हूँ और इसमें किसी प्रकार का बेनामी अधिकार शामिल नहीं है।
4. मेरे या मेरे पति / मेरी पत्नी तथा अवयस्क बच्चों के पास विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट किसी स्थानीय निकाय आदि द्वारा विकसित किसी आवासीय कॉलोनी में कोई भूखण्ड / भवन नहीं है।
5. मैंने पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ दी गयी पुस्तिका में उल्लिखित (क्रमांक-01 से 34) नियमों, शर्तों, विशेष सूचनाओं, परिभाषाओं को स्पष्ट रूप से समझ लिया है तथा मैं इनके पालन का वचन देता / देती हूँ तथा मुझे मान्य है।
6. मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि जब तक भूखण्ड की समस्त किश्तों एवं करों का पूर्ण रूप से भुगतान न कर दूँ मुझे भूमि बेचने या गिरवी रखने का अधिकार न होगा और न ही भूखण्ड रिहायशी उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाऊँगा / लाऊँगी।
7. यदि आगरा विकास प्राधिकरण के आवंटन उपरान्त आवेदित भूखण्ड कब्जा मैं न लूँ अथवा निर्धारित समय के अन्तर्गत मांगी गयी धनराशि जमा नहीं करूँ अथवा भूखण्ड की रजिस्ट्री न कराऊँ तथा आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गयी किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन करूँ तो आगरा विकास प्राधिकरण को मेरे द्वारा जमा धनराशि को नियमानुसार जब्त करने तथा भूखण्ड का आवंटन रद्द करने तथा भूखण्ड पर पुनः कब्जा कर लेने का पूरा अधिकार होगा।
8. ऊपर मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्ण सत्य है और उपरोक्त शपथ-पत्र में कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त बयानी कुछ भी गलत अथवा असत्य हो अथवा मैंने कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई हो तो अन्य अधिकारियों के अतिरिक्त आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के सक्षम अधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन / रजिस्ट्रेशन रद्द कर दें और इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा जमा धनराशि को नियमानुसार जब्त कर लें और मेरे विरुद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझें, करें उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

घोषणा:- मैं एतद्वारा बयान करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपर्युक्त क्रमांक 01 से 08 तक दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)